Speed Post

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. Review/5/M/o Coal (CCL)/2021-SSW-I

Dated: 10/10/2022

To,

The Chairman-cum-Managing Director,
Central Coalfields Ltd. (CCL),
Darbanga House, Kutchery Road,
Ranchi-834029
(Jharkhand)
Ph No. 0651-2360001
(Email: cmdccl.cil@coalindia.in)

Sub: Meeting held on 26.06.2022 with the officers of Central Coalfields Ltd, Ranchi on the pending cases related to Scheduled Tribes.

Sir,

I am directed to refer to the subject cited above and to enclose copy of minutes of meeting held on 26.06.2022 at Central Coalfields Ltd, Ranchi under the Chairmanship of Shri Ananta Nayak, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes, New Delhi in the matter.

It is requested that action taken on the suggestions / recommendations of the review meeting may please be sent to the NCST within 30 days from receipt of the letter.

Encl: As above.

Yours faithfully,

(R.S. Misra/आर.एस.मिश्र)
अनुसंधान अधिकारी / Research Officer

Copy for information to:

1. PS to Hon'ble Member, NCST
2. NIC (please upload on the Commission's website)

3. **श्री रोहित कुमार (ST), प्रबंधक केनरा बैंक ऑफ़ इंडिया** में कार्यरत है इनको गलत ढंग से बैंक ने सेवा मुक्त कर दिया है और इन्हें दर-दर भटकने के लिए छोड़ दिया गया है । राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के मुख्यालय नई दिल्ली में शिकायत किया है जिसका फाइल संख्या NCST/SER/317/MOIN/2022/SSW है।

4. **उपरोक्त व्यक्तिगत शिकायत के अलावा केनरा बैंक ऑल इंडिया, एससी, एसटी एवं पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कोआर्डिनेशन कौंसिल ने निम्नलिखित शिकायत किया है जोकि निम्नानुसार है:-**

(i) केनरा बैंक ऑल इंडिया, एससी, एसटी एवं पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कोआर्डिनेशन कौंसिल की एग्जीक्यूटिव बॉडी एवं सदस्यों का जानबूझ कर दूरदराज इलाके में स्थानांतरण किया जाता है।

(ii) केनरा बैंक अंचल एवं प्रधान कार्यालय की मैनेजमेंट के साथ कौंसिल के प्रतिनिधियों के साथ त्रिमासिक बैठक करने की सुविधा प्रदान करना।

(iii) केनरा बैंक के सभी अंचल कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय में कौंसिल के लिए स्थान प्रदान करना ताकि हमारी पतिविधि सुचारू रूप से चल सके।

(iv) कौंसिल के अखिल भारतीय पदाधिकारियों का अन्य ट्रेड यूनियनों एवं वेलफेयर संगठनों की तरह प्रोटेक्शन प्रदान करना।

(v) कौंसिल के प्रतिनिधि मंडल की केनरा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ़िसर के साथ यथाशीघ्र एक बैठक का अनुमति देना।

(vi) अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा जाति के वैसे कर्मचारियों का जिनकी स्पाउस भी बार्किंग हो उनका स्थानान्तरण इस तरह से करना ताकि दोनों पति पत्नी एक जगह नौकरी कर पाए एवं प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देशों का केनरा बैंक प्रबंधन द्वारा बार-बार उल्लंघन करना।

(vii) इसके अवाला अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा आयोग द्वारा दिए गए अन्य सुविधाओं का हमारे कौंसिल को भी उपलब्ध कराना।

ऑल इण्डिया अनुसूचित जाति/ जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग एम्प्लाइज को-ओरडीनेशन कौंसिल, पुलिस यूनिट झारखण्ड

ऑल इण्डिया अनुसूचित जाति/ जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग एम्प्लाइज को-ओरडीनेशन कौंसिल, पुलिस यूनिट झारखण्ड ने दिनांक दिनांक 23.10.2021 को माननीय सदस्य श्री अनंत नायक से मिलकर उनके विभाग द्वारा ऑल इण्डिया अनुसूचित जाति/ जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग एम्प्लाइज को-ओरडीनेशन कौंसिल, पुलिस यूनिट झारखण्ड को मान्यता नहीं देने के संबंध में शिकायत किया था तब माननीय सदस्य ने पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड सरकार, राँची से दूरभाष पर संपर्क करने का प्रयास किया किया था लेकिन संपर्क नहीं हो पाया था। तत्पश्चात राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली के फाइल संख्या GB/23/2019/ST/STJGH/SEOTH/RU-III दिनांक 26.08.2019 एवं फाइल संख्या GB/23/2019/ ST/STJGH/ SEOTH/RU-III दिनांक 27.07.2019 द्वारा पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड, राँची को निर्देश दिया गया कि संगठन के पदाधिकारी एवं उनके सदस्यों के कल्याणकारी एवं उसके लिए आहुत बैठक में भाग लेने के अनुमति देने हेतु पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड, राँची को आदेशित की गई थी। जिस पर सिर्फ एक बार अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा कार्यालय में उपस्थित होने के लिए बुलाई गई थी। इसके बाद आज तक इस लम्बे अंतराल के बावजूद अभी तक बैठक करने तथा कल्याणकारी कार्यों को करने के लिए कोई बैठक नहीं बिलाई गई। उनके मांगों पर विचार न करते हुए उल्टा संगठन के पदाधिकारियों जिसमें बिष्णु उरांव एवं और भी अनेक पदाधिकारी पर कार्रवाई की जा रही है । जिससे कारण उनके कल्याणकारी कार्यों पर एम्प्लाइज को-ओरडीनेशन कौंसिल के सदस्यों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

माननीय सदस्य ने ऑल इण्डिया अनुसूचित जाति/ जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग एम्प्लाइज को-ओरडीनेशन कौंसिल, पुलिस यूनिट झारखण्ड को आश्वस्त किया कि उनके कल्याणकारी कार्यों को रोकने के संबंध में पुलिस विभाग से प्रतिवेदन प्राप्त किया जावेगा।

दिनांक 26.06.2022 को माननीय सदस्य श्री अनंत नायक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली, भारत सरकार ने आयोग में सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, राँची से संबंधित अनुसूचित जनजातियों के लंबित शिकायतों/ प्रकरणों की सुनवाई अध्यक्ष -सह -प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, राँची के साथ बैठक की कार्यवृत।

माननीय सदस्य श्री अनंत नायक ने अध्यक्ष -सह -प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, राँची के साथ अनुसूचित जनजातियों के लंबित शिकायतों/ प्रकरणों की सुनवाई

अनंत नायक/ANANTA NAYAK
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

की जाँच/सत्यापन कर इस मामले का जल्द निपटारा कर दिया जाएगा। माननीय सदस्य ने इस निर्णय पर सहमति जताई तथा कमिटी का गठन कर द्वारा जल्द ही इस पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

5. **सीसीएल को दिये गए जमीन के विरुद्ध मुआवजे तथा नौकरी की मांग हेतु श्री अशोक अगरिया , पिता- खाखना अगरिया, थाना मांडू, रामगढ़ की शिकायत के संबंध में।**

इस संबंध में 24.06.2022 को माननीय सदस्य, NCST, तथा DC, रामगढ़ के साथ सीसीएल के अधिकारियों की अग्रणी बैठक हुई।, भू-राजस्व विभाग, रामगढ़, सीसीएल द्वारा कहा गया कि सीसीएल मुआवजा तथा नौकरी देने को तैयार है, लेकिन आवेदकों की जमीन की स्थिति दस्तावेजों में स्पष्ट नहीं है, जिससे मुआवजा प्रदान करने में कठिनाई आ रही है। इस संबंध में सीसीएल द्वारा DC, रामगढ़ को पूर्व में पत्र लिखा गया था, लेकिन अभी तक जमीन की स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है। इस संबंध में उपायुक्त, रामगढ़ द्वारा कहा गया कि एक कमिटी का गठन करके, जिसमें सीसीएल के अधिकारी, एनसीएसटी के अधिकारी तथा अंचल अधिकारी द्वारा, आवेदकों के जमीन की वस्तुस्थिति की जाँच/सत्यापन कर इस मामले का जल्द निपटारा कर दिया जाएगा। माननीय सदस्य ने इस निर्णय पर सहमति जताई तथा कमिटी का गठन कर द्वारा जल्द ही इस पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

6. **श्री राजू मुण्डा पुत्र श्रीमती फेतो मुण्डा, गिद्दी वाशरी, अरगड़ा क्षेत्र के SFVRS के तहत सीसीएल में नियुक्ति के संबंध में।**

इस संबंध में सीसीएल प्रबंधन द्वारा माननीय सदस्य को जानकारी दी गयी कि इस केस कोल इंडिया,कोलकाता के उच्च स्तरीय कमिटि में भेजा जा चुका है। वहाँ से जो भी निर्णय दिया जाएगा वो लागू किया जाएगा। माननीय सदस्य ने सीएमडी, सीसीएल को निर्देश दिया कि कोल इंडिया में इस केस के जल्द निपटारे के लिए आग्रह करें।

7. **श्री वाल्टर गुड़िया, उप-प्रबंधक (कार्मिक) का आम्रपाली-चन्द्रगुप्ता क्षेत्र, चतरा से सीसीएल मुख्यालय में स्थानांतरण हेतु।**

इस संबंध में सीसीएल प्रबंधन द्वारा माननीय सदस्य को जानकारी दी गयी कि श्री वाल्टर गुड़िया का आम्रपाली-चन्द्रगुप्ता क्षेत्र से बरका सयाल क्षेत्र में स्थानांतरण कर दिया गया है, जो कि रांची के समीप है।

8. **श्री सुरेश उरांव पर सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, रजहारा क्षेत्र के प्रबंधन द्वारा रु० 1400 करोड़ का झूठा मणि सूट दायर किए जाने के तथा जमीन के विरुद्ध मुआवजा दिये जाने हेतु आवेदन।**

श्री सुरेश उरांव पर सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, रजहारा क्षेत्र के प्रबंधन द्वारा रु०1400 करोड़ का झूठा मणि सूट दायर किए जाने के तथा जमीन के विरुद्ध मुआवजा दिये जाने हेतु आयोग को लिखित शिकायत दिया था। माननीय सदस्य ने प्रकरण पर श्री सुरेश उरांव पर सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, राजहारा द्वारा रु०1400 करोड़ का मणि सूट दायर वापस लिये जाने के साथ-साथ तथा सुरेश उरांव के पैतृक जमीन के विरुद्ध मुआवजा तथा परिवार एक सदस्य को सीसीएल में नौकरी देने का आग्रह किया

इस संबंध में अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, सीसीएल द्वारा माननीय सदस्य को यह आश्वस्त किया कि इस विषय पर रजहारा क्षेत्र के महाप्रबंधक से बात करके श्री सुरेश उरांव के विरुद्ध रु०1400 करोड़ का मणि सूट तुरंत दायर याचिका को सीसीएल द्वारा वापस ले लिया जाएगा। जमीन के विरुद्ध मुआवजा के विषय में अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, सीसीएल द्वारा माननीय सदस्य को यह जानकारी दी गयी कि जिस जमीन की सुरेश उरांव बात कर रहे है, वो जीएम (के) जमीन है जो कि सरकारी जमीन की श्रेणी में आती है। डीसी, लातेहार द्वारा इसका स्पष्टीकरण किए जाने पर सीसीएल द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी।

अनंत नायक/ANANTA NAYAK
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi